न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :— अवधेश मीना (प्रशिक्षु I.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 118 / 2018

वादीगण

1- कन्हैयालाल पुत्र घासीराम जाति खाती उम्र 67 वर्ष निवासी रामनगर (खारिया) तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. खेमाराम पुत्र भैरूराम जाति जाट
2. गणपतलाल पुत्र घीसा जाति खाती
3. गुमानाराम पुत्र लादूराम जाट
4. तुलछाराम पुत्र भैरूराम जाति जाट
5. नारायणी देवी पत्नि घीसा जाति खाती
6. पूसाराम पुत्र रामूराम जाति जाट
7. भंवरलाल पुत्र रामूराम जाति जाट
8. मातुड़ी देवी पत्नि नारायणराम जाट
9. रामचन्द्र पुत्र घीसा जाति खाती
10. लक्ष्मीनारायण पुत्र घीसा जाति खाती
11. श्यामलाल पुत्र घीसा जाति खाती
12. सुशीला देवी पत्नि रामचन्द्र जाति खाती
13. हुक्माराम पुत्र हणमान जाति जाट निवासियान रामनगर तहसील कुचामनसिटी
14. शाखा प्रबन्धक, यूको बैंक शाखा कुचामनसिटी
15. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामनसिटी
16. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा बाबत घोषणा खातेदारी अधिकार अ.धा.88 रा.का.अधि.1955 व अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित — श्री रणवीर कुमावत अधिवक्ता वादी की ओर से ।

श्री विजयसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 13 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :— 29/01/2019

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम रामनगर तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 609 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 610 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 611 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 615 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 616 रकबा 1.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 617 रकबा 0.86 हैक्टर, खसरा नम्बर 620 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 621 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 622 रकबा 0.06 हैक्टर कुल रकबा 4.68 हैक्टर की भूमि अन्य सहखातेदारान के साथ वादी की 1/24 हिस्से की कब्जासुदा खातेदारी की आई हुई है। उपरोक्त खसरान की भमि में वादी के पिता घीसा उर्फ घासीराम की मृत्यु बाद

......2......

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:16:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

फौतगी नामान्तरकरण में वादी का घरेलू नाम काना पुत्र घीसा लिख दिया गया जो कि गलत व काबिल संशोधनीय है जबकि वादी का वास्तविक नाम कन्हैयालाल पुत्र घासीराम था। वादी के मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि समस्त दस्तावेजात में दर्ज है जो सही है जो वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत किया है, वादी का नाम राजस्व अभिलेख में गलत नाम दर्ज होने के कारण उसे किसी प्रकार की सरकारी सुविधा का लाभ नही मिल पा रहा है। वादी की इस्तदुआ है कि उपरोक्तानुसार वादी का नाम काना पुत्र घीसा के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र घासीराम संशोधित करवाने की डिक्री बहक वादी सादिर फरमाई जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 13 ने उपस्थित होकर वादी के पक्ष में इकबाली जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 14 से 16 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी द्वारा अपने समर्थन में जमाबन्दी नकल सम्तव 2076–2079, मतदाता पहचान पत्र संख्या RJ/25/195/210119 की छाया प्रति, परिवार राशनकार्ड सं. 008382000191 की छाया प्रति, मूल निवास 1272 दिनॉक 28.04.2008 की छाया प्रति, आधार कार्ड संख्या 778910063671 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। प्रतिवादी संख्या 1 से 13 सहखातेदारान ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर वाद स्वीकार किया है तथा वादी का सही नाम कन्हैयालाल पुत्र घासीराम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का कथन किया है।

वकील वादी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई । वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए उपरोक्तानुसार वादी का नाम संशोधित अर्थात सही किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, इकबाली जवाब, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड मूल निवास इत्यादि का अवलोकन किया गया। वादी कन्हैयालाल पुत्र घासीराम का नाम राजस्व रेकार्ड में सहवन से काना पुत्र घीसा दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी का वास्तविक नाम कन्हैयालाल पुत्र घासीराम सही है जिसकी पुष्टि उपलब्ध रेकार्ड इकबाली जवाब मतदाता पहचान पत्र परिवार राशन कार्ड आधार कार्ड इत्यादि से होती है। इस प्रकार वाद वादी साबित होने से वाद डिक्री योग्य पाया गया। वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:16:49 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम रामनगर तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 609 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 610 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 611 रकबा 1.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 615 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 616 रकबा 1.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 617 रकबा 0.86 हैक्टर, खसरा नम्बर 620 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 621 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 622 रकबा 0.06 हैक्टर कुल रकबा 4.68 हैक्टर कृषि भूमि अन्य सहखातेदारान के साथ वादी की 1/24 हिस्से में दर्ज प्रविष्टि

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

कानाराम पुत्र घीसा हिस्सा 1/24 जाति खाती सा. देह खातेदार के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र घासीराम हिस्सा 1/24 जाति खाती सा. देह खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनाँक 29/01/2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(अवधेश मीना IAS, प्रशिक्षु)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:16:49 IST
Reason: SelfAttested

<u>डिक्री मुकदमा इन्तेहाई</u>

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : अवधेश मीना (प्रशिक्षु I.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 118/2018

<u>वादीगण</u>

1- कन्हैयालाल पुत्र घासीराम जाति खाती उम्र 67 वर्ष निवासी रामनगर (खारिया) तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

<u>बनाम</u>

<u>प्रतिवादीगण</u>

1. खेमाराम पुत्र भैरूराम जाति जाट
2. गणपतलाल पुत्र घीसा जाति खाती
3. गुमानाराम पुत्र लादूराम जाट
4. तुलछाराम पुत्र भैरूराम जाति जाट
5. नारायणी देवी पत्नि घीसा जाति खाती
6. पूसाराम पुत्र रामूराम जाति जाट
7. भंवरलाल पुत्र रामूराम जाति जाट
8. मातुड़ी देवी पत्नि नारायणराम जाट
9. रामचन्द्र पुत्र घीसा जाति खाती
10. लक्ष्मीनारायण पुत्र घीसा जाति खाती
11. श्यामलाल पुत्र घीसा जाति खाती
12. सुशीला देवी पत्नि रामचन्द्र जाति खाती
13. हुक्माराम पुत्र हणमान जाति जाट निवासियान रामनगर तहसील कुचामनसिटी
14. शाखा प्रबन्धक, यूको बैंक शाखा कुचामनसिटी
15. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामनसिटी
16. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा बाबत घोषणा खातेदारी अधिकार अ.धा.88 रा.का.अधि.1955 व अ.धा. 136 भू–रा. अ. 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री रणवीर कुमावत हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **ग्राम रामनगर तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 609 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 610 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 611 रकबा 1.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 615 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 616 रकबा 1.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 617 रकबा 0.86 हैक्टर, खसरा नम्बर 620 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 621 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 622 रकबा 0.06 हैक्टर कुल रकबा 4.68 हैक्टर कृषि भूमि अन्य सहखातेदारान के साथ वादी की 1/24 हिस्से में दर्ज प्रविष्टि कानाराम पुत्र घीसा हिस्सा 1/24 जाति खाती सा. देह खातेदार के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र घासीराम हिस्सा 1/24 जाति खाती सा. देह खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।**

निज .... मुतालिबा .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारिख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 01 सन् 2019 को जारी की गई।

(मुहर)

दस्तखत .... उपखण्ड अधिकारी

ओहदा .... कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:16:49 IST
Reason: SelfAttested